

प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 26.06.2026

धोखाधड़ी का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष खोराबार के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 283/2026 धारा 318(4),308(5),351(2) भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्त विनय प्रताप गहलोत पुत्र रमाशंकर गहलोत को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.06.2026 को अभियुक्त द्वारा वादिनी से स्वयं को सरकारी कर्मचारी बताकर भय में डालकर वादिनी से 8000/- रुपया ऑनलाइन फोन कर पेमेन्ट करा लेना और 20000/- रुपये की और माँग करते हुए वादिनी के बच्चों को धमकी दिया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम,पता व आपराधिक इतिहास-

विनय प्रताप गहलोत पुत्र रमाशंकर गहलोत निवासी ग्राम बिरनी थाना लार जनपद देवरिया हा0मु0गौतम बुद्ध आदर्श इण्टर कालेज के पास रानीडिहा थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 283/2026 धारा 318(4),308(5),351(2) भा0न्या0सं0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 373/25 धारा 115(2),296,74 भा0न्या0सं0थाना खोराबार जनपद गोखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार निर्मल चौकी प्रभारी सिक्टौर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. का0 प्रेमचन्द्र राजभर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर